महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

प.सं.17-1/2024(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक :17.10.2024

कार्यालय आदेश - 1557

विषय : प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं / गुरू-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत वित्तपोषित छात्रों की अनुपस्थिति पर वित्तविहीन कर अनुदान सूची से छात्र का नाम हटाने के संबंध में निर्देश ।

प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं / गुरू-शिष्य परम्परा इकाइयों में अध्ययनरत वित्तपोषित छात्रों को 20 दिन से अधिक अनुपस्थिति पर वित्तपोषित से वित्तविहीन कर मासिक अनुदान सूची से छात्र का नाम हटाने के संबंध में निर्देश इस प्रकार हैं :

(1) वेदपाठशालाओं / इकाइयों में वित्तपोषित कोई छात्र यदि 20 दिन से अधिक तक अनुपस्थित रहता है, तो उस छात्र का नाम वित्तपोषित अनुदान सूची से निरस्त कर वित्तविहीन श्रेणी में कर दिया जाए तथा छात्र की मासिक छात्रवृत्ति जारी नहीं की जाए ।

(2) छात्र के किसी गंभीर बीमारी, अस्वस्थता होने पर शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 15 से 30 दिन तक विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर वित्तपोषित प्रवेश मान्य रहेगा, परन्तु छात्र माह में जितने दिन विद्यालय में उपस्थित है, उतने दिन की ही छात्रवृत्ति जारी होगी ।
उसके बाद भी विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर छात्र का नाम वित्तपोषित अनुदान सूची से निरस्त कर वित्तविहीन श्रेणी में कर दिया जाएगा तथा कोई छात्रवृत्ति जारी नहीं होगी ।

(3) विशेष रूप से ध्यान रखें, कि उपर्युक्त दोनों बिन्दुओं के आधार पर वित्तपोषित से वित्तविहीन किए गए छात्रों के परीक्षा आवेदन फार्म बाह्य परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत भरे जाएंगे ।

(4) प्रतिष्ठान में कार्यरत कम्प्यूटर प्रोग्रामर को निर्देशित किया जाता है, कि जिन छात्रों को अप्रैल से सितम्बर, 2024 विशेषत: अगस्त - सितम्बर, 2024 के अनुदान नोटशीट में अनुपस्थिति के कारण छात्रवृत्ति शून्य रही हैं, उन छात्रों के अनुदान को शून्य कर उन छात्रों के नाम के आगे रिमार्क में वित्तपोषित से वित्तविहीन अंकित कर दें । ऐसे छात्रों को किसी भी परिस्थिति में पुन: छात्रवृत्ति जारी नहीं की जाए । छात्रों का नाम नोटशीट में छात्रों की सूची से नहीं हटाएं । नोटशीट में छात्रों के सरल क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं हो ।

17/10/2024

(प्रो. विरूपाक्ष वि.जड्डीपाल)
सचिव

प्रतिलिपि : (1) सहायक निदेशक, शैक्षणिक एवं परीक्षा ।
(2) पाठशाला अनुभाग प्रभारी॥
(3) समस्त वेदपाठशाला / गुरू-शिष्य परम्परा इकाई डीलिंग असिस्टेंट एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर को पालनार्थ निर्देशित ।
(4) प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं / इकाइयों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशित ।
(5) कार्यालय आदेश पत्रावली ।

Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266
E-mail :msrvvpujn@gmail.com Website : msrvvp.ac.in